

समक्ष:-संयुक्त कृषि निदेशक (उर्वरक)/जिला कृषि अधिकारी,
उत्तर प्रदेश,

- मैं पुत्र उम्र वर्ष निवासी निम्नलिखित
शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि:-
1-मैं मैसर्स का हूँ एवं संस्था की तरफ से शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत हूँ।
2-मेरे द्वारा उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र प्राप्त करने हेतु दिये गये आवेदन प्रपत्र (फार्म-ए-1) में समस्त सूचनायें सही/सही दी गयी है जो कि मेरें संज्ञान में सत्य है।
3- मेरे द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं समय-समय पर इसके अधीन निर्गत अधिसूचना के समस्त प्राविधानों का पालन किया जायेगा।
4- मेरे द्वारा विक्रय परिसर एवं इससे जुड़े गोदाम परिसर में समय-समय पर हुये परिवर्तन की सूचना तत्काल प्रस्तुत की जायेगी।
5- राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित समस्त सूचनायें मेरे द्वारा समय से उपलब्ध करायी जायेगी।
6- मेरी संस्था को पूर्व में निर्गत उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र निलम्बित अथवा निरस्त नहीं है, न ही उर्वरक विक्रय से वंचित किया गया है।
7- प्राथी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत कोई वाद न्यायालय में लम्बित नहीं है। तथा प्रार्थी को कभी उक्त वाद के अन्तर्गत दण्डित नहीं किया गया है।

शपथी

सत्यापन:

बिन्दु सं० 1 से 7 तक मेरी जानकारी में सही है।

शपथी